

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामपाल पुत्र श्रवण रेगर निवासी पीपलुन्द

बनाम

आशीष पिता कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 266/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2550/15 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2550/15 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 01/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/266/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 266 / 2024 अनवान रामपाल पुत्र श्रवण रेगर निवासी पीपलुन्द बनाम आशीष पिता कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, दिलखुश पिता कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, प्रियंका पुत्री कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, मगनी देवी पत्नी कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, मुली पुत्री कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, रुकमा देवी पत्नी रामपाल रेगर निवासी पीपलुन्द, रामपाल पिता रामचंद्र रेगर निवासी पीपलुन्द, गोविंद पिता बिरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, जगदीश पिता बिरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, दुर्गा लाल पिता बिरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, फूलचन्द पिता बिरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, हेमराज पिता बिरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, कालूराम पिता नंदलाल रेगर निवासी पीपलुन्द, प्रभुलाल पिता नंदलाल रेगर निवासी पीपलुन्द, मनोहर पिता नंदलाल रेगर निवासी पीपलुन्द, लक्ष्मण पिता पन्नालाल कजर निवासी पीपलुन्द, खेमराज पिता लाल रेगर निवासी पीपलुन्द की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2550/15 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा